Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1

Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण: समस्याओं, संभावनाओं और नीतियों का अध्ययन

डॉ. राजेश्वरी गर्ग, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, गुरुघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

पुष्पलता भगत, शोधार्थी, शिक्षा विभाग, गुरुघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश

जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण विषय है जो सामाजिक न्याय, समानता और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियाँ लगभग 8.2% हैं। भारत में विभिन्न जनजातियों के बीच विशेषताओं और अंतरों पर ध्यान केंद्रित करने वाले मानवशास्त्रीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण मात्रा के बावजूद, इन आदिवासी समुदायों के भीतर महिलाओं की स्थिति को संबोधित करने वाले अंतःविषय अनुसंधान की उल्लेखनीय कमी रही है। इस पेपर का उद्देश्य भारत में अनुसूचित जनजातियों के बीच महिलाओं की स्थिति की जांच और विश्लेषण करके इस अंतर को संबोधित करना है। इस पूरे अध्ययन में, हम अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की तुलना मुख्यधारा की हिंदू और अनुसूचित जाति की आबादी से करेंगे। इस विश्लेषण के माध्यम से, हमारा लक्ष्य आदिवासी संस्कृतियों के अनूठे पहलुओं पर जोर देना और यह प्रदर्शित करना है कि अनुसूचित जनजातियों की कई महिलाओं को अपने हिंदू और अनुसूचित जाति के समकक्षों की तुलना में कम भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

मुख्य संबोध: समस्याये, संभावनाए,संवैधानिक प्रावधान, चुनौतिया, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, अवसर

प्रस्तावना

भारत में जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। इन महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नीतियों की आवश्यकता है। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, अनुसूचित जनजातियाँ भारत की जनसंख्या का लगभग 8.2% हैं। इनमें से अधिकांश जनजातियाँ, लगभग 93.80%, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, जबकि केवल 6.20% शहरी क्षेत्रों में रहती हैं। "अनुसूचित जनजाति" शब्द का प्रयोग आबादी के हाशिए पर मौजूद वर्ग को संवैधानिक लाभ और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन जनजातियों को, जिन्हें "आदिवासी" भी कहा जाता है, अक्सर दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले वंचित व्यक्तियों के रूप में देखा जाता है, जो आदिम व्यवसाय, जीववाद और खानाबदोश जीवन शैली का अभ्यास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्यों के आगमन से पहले वे इस भूमि के मूल निवासी थे, जिन्होंने उन्हें हाशिये पर धकेल दिया और जंगलों और पहाड़ों जैसे अलग-थलग क्षेत्रों की ओर धकेल दिया। अनुसूचित जाति की आबादी के विपरीत, जिन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा और उन्हें हिंदुओं द्वारा सामाजिक पदानुक्रम में सबसे नीचे रखा गया, आदिवासी समुदायों को सामाजिक रूप से हाशिए पर रखा गया और मुख्यधारा के हिंदू समाज से काट दिया गया। इन जनजातीय समूहों के पास विशिष्ट पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं जो उन्हें भारत में प्रमुख हिंदू आबादी से अलग करते हैं। वे आम तौर पर गैर-पदानुक्रमित सामाजिक संरचनाओं का पालन करते हैं, गैर-भौतिकवादी मूल्यों को

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

अपनाते हैं, भोजन संबंधी वर्जनाओं का पालन नहीं करते हैं, और अक्सर अपने समुदायों में महिलाओं को उच्च सम्मान देते हैं। अनुसूचित जनजातियाँ चार अलग-अलग नस्लीय पृष्ठभूमियों से आती हैं - नेग्रिटोस, प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड्स, मोंगोलोइड्स और कॉकेशोइड्स - और देश भर में फैली हुई हैं, प्रत्येक का अपना अनूठा धर्म, संस्कृति, व्यवसाय और जीवन शैली है। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि आदिवासी समुदाय विविध हैं और एक समान समूह नहीं हैं।

जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

भारत का संविधान 'जनजाति' (Tribe) शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है, हालाँकि अनुच्छेद 342 के माध्यम से संविधान में अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) शब्द को शामिल किया गया।

संविधान की पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में 'जनजाति सलाहकार परिषद' की स्थापना का प्रावधान करती है।

शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रावधान

भारतीय संविधान में शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रावधानों के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। अनुच्छेद 14)4) के तहत, सरकार को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 46 राज्य को कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा का दायित्व सौंपता है, साथ ही उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, जो उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राजनीतिक प्रावधान

भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवाज सुनी जाए और उनके हितों का प्रतिनिधित्व किया जाए। इसी प्रकार, अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। यह प्रावधान राज्य स्तर पर उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता है और उन्हें राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। स्थानीय स्तर पर, अनुच्छेद 243 पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान जमीनी स्तर पर उनकी भागीदारी को बढ़ावा देता है और स्थानीय शासन में उनकी भूमिका को मजबूत करता है। ये सभी प्रावधान मिलकर एक व्यापक ढांचा तैयार करते हैं जो अनुसूचित जनजातियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता है और उनके समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

प्रशासनिक प्रावधान:

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

अनुच्छेद 275 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास और कल्याण को सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने का अधिकार देता है, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इस प्रावधान के तहत दी जाने वाली धनराशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचे के विकास और जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए किया जाता है। यह अनुच्छेद न केवल जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि जनजातीय समुदाय राष्ट्र के समग्र विकास में सक्रिय भागीदार बन सकें। इस प्रकार, अनुच्छेद 275 भारत की संघीय व्यवस्था में जनजातीय कल्याण को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

भारत में जनजाति समुदायों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ

1. शैक्षिक असमानता: भौगोलिक स्थिति, कम जनसंख्या घनत्व और आदिवासी गांवों की दुर्गमता के कारण प्रतिबंधित स्कूल पहुंच सहित कई कारकों के परिणामस्वरूप आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक असमानता व्यापक है। हालाँकि स्कूल मौजूद हैं, बाल श्रम, गरीबी और घर पर शैक्षिक सहायता की कमी जैसे मुद्दों के कारण जल्दी स्कूल छोड़ने की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके अलावा, आदिवासी समुदाय के सदस्यों का प्रवासन समस्या को बढ़ा देता है, क्योंकि बच्चे अक्सर अपने माता-पिता को श्रम की मांग में सहायता करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं।

2. महिलाओं की स्थिति में गिरावट: महिलाओं की स्थिति में कमी पर्यावरण की गिरावट से मेल खाती है, विशेष रूप से वनों की कटाई और संसाधनों की कमी के कारण। इससे स्वदेशी महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए खतरा पैदा हो गया है, जिन्हें अक्सर भोजन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, स्वदेशी क्षेत्रों में खनन और औद्योगिक कार्यों की वृद्धि के परिणामस्वरूप स्वदेशी महिलाओं का शोषण और वस्तुकरण हुआ है क्योंकि उन्हें आजीविका कमाने के लिए कठिन और अक्सर हानिकारक कार्यों में संलग्न होने के लिए मजबूर किया जाता है।

3. बड़े पैमाने पर विस्थापन: जनजातीय समुदायों की आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली परियोजनाओं, उद्योगों और बड़े बांधों की स्थापना के कारण स्वदेशी आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। इन परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा जनजातीय भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप पुनर्वास के अपर्याप्त प्रयास हुए हैं, जिससे स्थिति और खराब हो गई है। छोटानागपुर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जनजातीय समूह इस विस्थापन से असमान रूप से प्रभावित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और इको-पार्कों के निर्माण ने आदिवासी समुदायों के आवास और आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं। उदाहरण के लिए, 2014 में, बैगा और गोंड स्वदेशी समुदायों के लगभग 450 परिवारों को कान्हा टाइगर रिजर्व से जबरदस्ती स्थानांतरित कर दिया गया था।

4. मूल निवासी पहचान का क्षरण: मूल पहचान का क्षरण तेजी से समस्याग्रस्त होता जा रहा है क्योंकि पारंपरिक जनजातीय संस्थाएं और कानून आधुनिक प्रणालियों से टकराते हैं, जिससे समुदायों को अपनी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के बारे में चिंता होती है। इसके अलावा, आदिवासी बोलियों और भाषाओं का लुप्त होना भी एक चिंताजनक मुद्दा है।

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

5. सामाजिक एवं मानसिक समस्याएँ: जब विकास परियोजनाएं जनजातीय भूमि का उल्लंघन करती हैं, तो यह उनके जीवन के तरीके को बाधित कर सकती है और उन्हें अपरिचित क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर कर सकती है। यह विस्थापन मनोवैज्ञानिक संकट का कारण बन सकता है क्योंकि वे नए परिवेश और सामाजिक मानदंडों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। जनजातीय समुदाय अक्सर सामाजिक और संस्थागत दोनों स्थितियों में भेदभाव और बहिष्कार के कारण सामाजिक और मानसिक बाधाओं का सामना करते हैं। यह हाशियाकरण व्यापक समाज से अलगाव और स्वैच्छिक अलगाव की भावनाओं को जन्म दे सकता है।

6. स्वास्थ्य और पोषण की समस्याएँ: आर्थिक विकास की कमी और अस्थिर जीवनशैली के कारण आदिवासी आबादी को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें मलेरिया, हैजा, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। इसके अलावा, कुपोषण, विशेष रूप से निम्न लौह स्तर और एनीमिया, जनजाति के भीतर उच्च शिशु मृत्यु दर और अन्य कठिनाइयों में योगदान देता है।

सशक्तिकरण के अवसर

आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें उन्नति के अवसर प्रदान करने के कई तरीके हैं। एक प्रभावी तरीका शिक्षा और कौशल-निर्माण कार्यक्रम है जो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और क्षमताएं प्रदान करता है। इसके अलावा, आदिवासी महिलाओं के लिए अपनी राय व्यक्त करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए मंच बनाने से उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने और अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिल सकती है। आर्थिक सशक्तिकरण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने और अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम बनाता है। संसाधन, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके, आदिवासी महिलाएं सामाजिक मानदंडों और प्रतिबंधों से दूर हो सकती हैं, जिससे स्वायत्तता और सशक्तिकरण में वृद्धि होगी। अंततः, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और आदिवासी समुदायों की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है।

नीति निहितार्थ

आदिवासी महिलाओं से संबंधित नीतियों के निहितार्थों का आदिवासी समुदायों और समग्र रूप से समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इन निहितार्थों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। आदिवासी महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थ है, क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उन्हें अक्सर कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सकारात्मक कार्रवाई, आरक्षित सीटों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से शासन के सभी स्तरों पर आदिवासी महिलाओं को शामिल करने को बढ़ावा देना नीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य देखभाल आदिवासी महिलाओं के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, जिन्हें विभिन्न बाधाओं के कारण गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नीतियों को प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता सुविधाओं सहित स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। शिक्षा एक अन्य क्षेत्र है जहां आदिवासी महिलाओं के लिए नीतिगत निहितार्थ स्पष्ट हैं, जिसमें समान अवसर और लिंग-संवेदनशील पाठ्यक्रम प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आदिवासी महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिन्हें आर्थिक भागीदारी में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नीतियों का उद्देश्य उद्यमिता, कौशल विकास और भूमि और संसाधनों तक सुरक्षित

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

पहुंच के अवसर पैदा करना होना चाहिए। कुल मिलाकर, लैंगिक समानता हासिल करने और जनजातीय समुदायों के विकास के लिए इन नीतिगत निहितार्थों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और सशक्तिकरण रणनीतियाँ

आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण को स्वीकार और सम्मान करके और उनकी स्वतंत्रता और स्वशासन को बढ़ाने वाली रणनीति को लागू करके, हम आदिवासी महिलाओं को उनकी पूर्ण क्षमताओं का एहसास करने और उनके समुदायों के कल्याण को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सशक्तिकरण रणनीतियों को आदिवासी महिलाओं की स्व-शासन की भावना और स्वयं के लिए निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने, अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने और अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेने के लिए आवश्यक संसाधन, सहायता और कौशल प्रदान करना शामिल है। इसमें भेदभावपूर्ण परंपराओं और रीति-रिवाजों को चुनौती देना भी शामिल है जो उनके अवसरों और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं। आदिवासी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण रणनीतियाँ उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की समझ, उनके पारंपरिक ज्ञान, क्षमताओं और जीवन के तरीके को पहचानने और उसकी सराहना करने में निहित होनी चाहिए। इसमें उनके लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाने और उनके सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर पैदा करना भी शामिल है। आदिवासी महिलाओं के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का एक महत्वपूर्ण पहलू सांप्रदायिक कल्याण और परस्पर जुड़ाव पर उनका ध्यान है। कई आदिवासी समुदायों में, महिलाएं रिश्तों को बढ़ावा देने, एकता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समुदाय और अपनेपन की उनकी मजबूत भावना उनकी सांस्कृतिक विरासत में गहराई से अंतर्निहित है, जो उन्हें उद्देश्य और पहचान की भावना देती है। आदिवासी महिलाओं के सांस्कृतिक दृष्टिकोण और सशक्तिकरण रणनीतियों की खोज करते समय, उनकी पहचान को आकार देने वाली परंपराओं, मान्यताओं और मूल्यों की विविध श्रृंखला में गहराई से जाना महत्वपूर्ण है। ये महिलाएं न केवल अपने समुदाय की विरासत को आगे बढ़ाती हैं, बल्कि बदलाव और प्रगति को भी आगे बढ़ाती हैं। उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समझकर और उनका सम्मान करके, हम उनके सशक्तिकरण और उन्नति का प्रभावी ढंग से समर्थन कर सकते हैं।

निष्कर्ष

आदिवासी महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए, व्यापक नीतियां विकसित करना महत्वपूर्ण है जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर विचार करें। इन नीतियों का ध्यान शैक्षिक अंतर को पाटने, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और उनकी प्रगति में बाधा डालने वाले पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देने पर होना चाहिए। निर्णय लेने में उनकी सक्रिय भागीदारी और प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए नीति-निर्माण प्रक्रिया में आदिवासी महिलाओं को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाना एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें चुनौतियाँ और अवसर दोनों मौजूद हैं। समावेशी नीतियों को लागू करके और एक सहायक वातावरण बनाकर, आदिवासी महिलाओं को पूर्ण जीवन जीने और अपने समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सशक्त बनाया जा सकता

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

है। बाधाओं के बावजूद, आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण की संभावनाएं हैं, जैसे शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाना। राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिकाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण नीतियां और सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण पर शोध ने उनके सामने आने वाली चुनौतियों, प्रगति के अवसरों और उनके सशक्तिकरण को सुविधाजनक बनाने में प्रभावी नीतियों के महत्व पर प्रकाश डाला है। अध्ययनों से पता चला है कि आदिवासी महिलाओं को शिक्षा तक सीमित पहुंच, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, लिंग भेदभाव और सांस्कृतिक मानदंडों जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को प्रतिबंधित करते हैं।

सन्दर्भ सूची

1. कबीर, एन (2005)। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण: तीसरे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। लिंग और विकास, 13 (1), 13-24।
2. संयुक्त राष्ट्र। हमारी दुनिया को बदलना: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा।
3. मोहिंद्रा, के., और लैबोंटे, आर. (2010)। भारत में जनसंख्या स्वास्थ्य हस्तक्षेप और अनुसूचित जनजातियों की एक व्यवस्थित समीक्षा। बीएमसी पब्लिक हेल्थ, 10 (1), 438.
4. विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य और मानवाधिकार: महिलाओं का स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन।
5. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/mainstreaming-tribals-in-india
6. https://shodhgangotri.inflibnet.ac.in/bitstream/20.500.14146/10387/1/rajshree%20sahu.pdf
7. अन्नपूर्णा नौटियाल, हिमांशु बौराई) .2009). 'गढ़वाल हिमालय में महिला सशक्तिकरण: और संभावनाएं' कल्पाज़ पब्लिकेशंस, दिल्ली।
8. ब्रैडी, मार्था, (2005). विकासशील देशों में युवा महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान बनाना और सामाजिक संपत्ति का निर्माण करना: खेल की नई भूमिका। विमेंस स्टडीज क्वार्टरली 2005, वॉल्यूम 33, नंबर 1 और 2
9. क्रिस्टाबेल, पी. जे., (2009). 'क्षमता निर्माण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण: मायक्रोफाइनेंस की भूमिका, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली।
10. दांडेकर, हेमलता, (1986). भारतीय महिला विकास: चार दृष्टिकोण। साऊथ एशिया बुलेटिन, VI (1), 2-10. दिल्ली।

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved